कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1503 /मैनपुरी/25364/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 01 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : मैनपुरी में शिकोहाबाद–भोगाँव मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–2545/14–1, दिनांक 20.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें/अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी में प्रस्तावक के हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रमाणित कर ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड करने का कष्ट करें।

2– परियोजना में विद्यमान R.O.W., विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि, एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना एवं गैर वनभूमि की चैनेजवार अलग–2 गणना संलग्न नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें एवं ऑनलाइन पार्ट–1 व 2 पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3– चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण योजना संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ–97 व 98 पर संलग्न योजना को पृथक कर दें व प्रयोक्ता एजेंसी से इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड कराने व संलग्न कराने का कष्ट करें कि सेन्ट्रल वर्ज व चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनों ओर स्थान रिक्तता के आधार पर स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

4– ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड संरक्षित वनभूमि का गजट नोटीफिकेशन प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है।

5– ऑनलाइन पार्ट–2 पर समस्त आवश्यक अभिलेख यथाः– प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता व एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में सेंचुरी/वन्यजीव विहार की उपलब्धता, मक डिस्पोजल प्लान, आदि समस्त अभिलेख आनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।

5– उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर कमवार पृष्ठ संख्या एवं तद्नुसार विषय–सूची को अपडेट कराने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को ऑनलाइन व आफलाइन पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1/12

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1503 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर ऑनलाइन की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव अपने वन संरक्षक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1/12

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

Q